बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

का0आ0सं0–निग / सारा–एन०एच०–आरोप–16 / 2023 पटना, दिनांक 21/10/26

कार्यालय आदेश – 316

श्री सुनील कुमार चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत कनीय अभियंता (30.11.2023) के उक्त पदस्थापन अवधि में उक्त पदस्थापित कार्यालय का प्रभार नहीं सौंपे जाने, नव पदस्थापित कार्यालय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर में योगदान समर्पित नहीं करने एवं विभागीय आदेशों की अवेहलना करने के आरोप के लिए विहित प्रारूप में आरोप पत्र गठित करते हुए पत्रांक–5572 (ई०), दिनांक 30.08.2023 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। स्मारोपरांत श्री चौधरी के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में विभागीय समीक्षोपरांत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–85–सहपठित ज्ञापांक–3333 (ई०) दिनांक 28.05.2025 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप का बिन्दु निम्नवत है :–

(i) श्री सुनील कुमार चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का स्थानान्तरण विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–34–सहपठित ज्ञापांक–910 (ई०) दिनांक 30.01.2019 द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर किया गया। पुनः विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–52–सहपठित ज्ञापांक–1495 (ई०) दिनांक 21.02.2019 द्वारा नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु दिनांक 25.02.2019 के अपराह्न से स्वतः विरमित किया गया। तत्पश्चात श्री चौधरी को दिनांक 10.07.2019 को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय आदेश सहपठित ज्ञापांक–466 अनु०, दिनांक 10.07.2019 द्वारा भी विरमित किया गया। इसके बावजूद श्री चौधरी द्वारा स्थानान्तरित कार्यालय में अभी तक योगदान नहीं किया गया है।

(ii) कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–300 दिनांक 29.04.2019 एवं पत्रांक–379 दिनांक 12.06.2019 द्वारा श्री चौधरी को अपने पदस्थापन अवधि का प्रभार सौंपने के संबंध में बार–बार निदेशित भी किया गया है। इस संबंध में श्री वीरेन्द्र पासवान, कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा श्री चौधरी से व्यक्तिगत सम्पर्क करने का भी प्रयास किया गया।

कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–546, दिनांक 14.08.2019 एवं पत्रांक–246, दिनांक 20.10.2020 द्वारा श्री चौधरी को प्रभार सौंपने हेतु पुनः निदेशित भी किया गया है, परन्तु श्री चौधरी द्वारा अपने पदस्थापन अवधि का प्रभार अभी तक नहीं सौंपा गया है।

2. श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में मुख्य अभियंता, पथ संधारण–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3269 (ई०) दिनांक 15.05.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा

कृ०पृ०उ०

निम्नलिखित विश्लेषण के आधार पर उक्त दोनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है–

"विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–34–सहपठित ज्ञापांक–910 (ई०) दिनांक 30.01.2019 द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर स्थानान्तरण हो जाने के उपरांत कई स्मार के बावजूद आरोपित

पदाधिकारी श्री सुनील कुमार चौधरी द्वारा प्रभार के आदान–प्रदान की कार्रवाई नहीं की गयी है। गवाह श्री राम सकल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि पत्रांक–246, दिनांक 20.10.2020 द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री सुनील कुमार चौधरी को प्रभार सौंपने हेतु निदेशित किया गया। गवाह श्री बीरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, रा०उ०प० प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा प्रभार प्राप्त करने हेतु श्री सुनील कुमार चौधरी से कार्यालय में सम्पर्क नहीं होने की स्थिति में उनके तत्कालीन स्थानीय पता–जोगीयामठ, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु उनके निवास स्थान पर हमेशा ताला लगा पाया गया। उनके मोबाईल नं०–9430242914 पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु मोबाईल हमेशा बन्द पाया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा उक्त के प्रतिपरीक्षण में गवाह श्री बीरेन्द्र प्रसाद से प्रश्न किया गया कि 'जब मेरे स्थानीय आवास पर मुलाकात नहीं हुई तो क्या आपने मेरे नजदीक रहने वाले रिश्तेदारों से पूछताछ की ? क्योंकि मैं अक्सर घर ताला लगाकर बाजार/रिश्तेदारों के पास चला जाता था' इस प्रश्न से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा विभागीय निदेशों के आलोक में प्रभार आदान–प्रदान की कार्रवाई में रूचि/तत्परता नहीं दिखलायी गयी। आरोपित पदाधिकारी श्री सुनील कुमार चौधरी द्वारा अपने बचाव के लिखित अभिकथन में चिकित्सक पी०के० मिश्रा द्वारा निर्गत विभिन्न तिथियों का तीन रिपोर्ट दिया गया है। चिकित्सक रिपोर्ट दिनांक 08.03.2019, 07.06.2019 तथा 05.03.2020 का है, जिससे प्रभार का आदान–प्रदान नहीं करने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है।"

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–3967 (ई), दिनांक–12.06.2026 के द्वारा श्री चौधरी से लिखित अभिकथन/निवेदन की मांग की गई। श्री चौधरी ने अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक 15.07.2026 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित किया, जिसमें श्री चौधरी ने आरोप के बिन्दु पर कोई सटीक तथ्य/तर्क न देकर इससे इतर तथ्यों/तर्को को प्रस्तुत किया है यथा–उनके प्रतिस्थानी श्री बिरेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रभार ग्रहण करने हेतु उनके आवास पर जाने पर ताला लगा पाया जाना, चूंकि वे अक्सर अपने घर में ताला लगाकर दैनिक सामग्री लेने बाजार निकल जाते है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा Law & Order के कार्यो में व्यस्त रहने, स्थानांतरण हेतु विभाग को अभ्यावेदन देने, अतिथि आगमन, राष्ट्रीय त्योहारों एवं कार्यपालक अभियंता के पदस्थापन एवं स्थानांतरण पर भोज की व्यवस्था आदि उनके खर्चे पर किये जाने के बावजूद NH पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में 1.50 लाख रुपये का Voucher पास नहीं किये जाने आदि अनर्गल तथ्यों का जिक्र किया गया है, जिसका कि आरोपों के बिन्दु से कोई मतलब नहीं है। श्री चौधरी ने अपने बचाव में लगभग इन्हीं तथ्यों/तर्को का सहारा लिया है, जो अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, जिसके आधार पर आरोप को प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार श्री चौधरी द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में आरोप के बिन्दु पर ऐसा कोई ठोस तथ्य/तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उनके विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित किया जा सके।

4. अतः उक्त के आलोक में श्री चौधरी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन को सम्यक समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री सुनील कुमार चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

"पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) की कटौती 05 (पाँच) वर्षो तक।"

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार के रूप में अभियंता प्रमुख (मु०) का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

उप सचिव (निगरानी)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–एन०एच०–आरोप–16/2023 **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव (निगरानी)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–एन०एच०–आरोप–16/2023 **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–03), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (लेखा)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/06/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /**श्री सुनील कुमार चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता–ग्राम+पो०–जितवरिया, भाया–कल्याणपुर, थाना–कल्याणपुर, जिला–समस्तीपुर, पिन–848302** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निबंधित

ह०/–

उप सचिव (निगरानी)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–एन०एच०–आरोप–16/2023 7621(3) **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव (निगरानी)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
15.10.26